निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 125 / 2017 दिनांक : 05.04.2021

अनवान

बगदीबाई पत्नि बालूलाल जी मेनारिया उम्र वयस्क निवासी आसावरा तहसील भदेसर।

.....वादीया

।। बनाम ।।

1. माधु लाल पिता कालू लाल मेनारिया उम्र वयस्क निवासी आसावरा तहसील भदेसर
2. लक्ष्मीलाल पिता कालू लाल मेनारिया उम्र वयस्क निवासी आसावरा तहसील भदेसर
3. बदामी बाई पत्नि कालू लाल मेनारिया उम्र वयस्क निवासी आसावरा तहसील भदेसर
4. सुंदरबाई पत्नि मथुरालाल मेनारिया उम्र वयस्क निवासी आसावरा तहसील भदेसर
5. इंद्राबाई पत्नि लक्ष्मीलाल मेनारिया उम्र वयस्क निवासी आसावरा तहसील भदेसर
6. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, भदेसर

..... प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित –श्री नरेन्द्र सिंह पंवार, वकील वादी

वादपत्र वादी अंतर्गत आदेश 7 नियम 1, 2 जा0दि0 निम्न प्रकार पेश है।

1. यह कि वादीया के स्वामित्व, आधिपत्य एवं उपयोग उपभोग की खातेदारी कृषि अराजीयात खाता सं0 185 में दर्ज आराजी नं0 576 रकबा 0.43 हैक्टेयर कृषि भूमि जो राजस्व ग्राम आसावरा पटवार हल्का आसावरा तहसील भदेसर में स्थित होकर वादिया शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत 2070 से 2073 संलग्न वाद पत्र है।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

2. यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित सम्पूर्ण कृषि आराजीयात वादीया के तन्हा स्वामित्व एवं आधिपत्य व खातेदारी की होकर वादिया उपयोग उपभोग कर रही है, परंतु प्रतिवादीगण के मन में बदनियति आने से प्रतिवादीगण वादीया की आराजीयात में तारबंदी के पिलर रोपने पर आमादा हो रहे है जबकि आराजीयात वादिया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होने से प्रतिवादीगण को वादिया की उक्त आराजीयात में किसी भी प्रकार से प्रवेश कर उपयोग उपभोग में व्यवधान पैदा करने का एवं पिलर आदि खड़े करने का कोई अधिकार नहीं है, जिससे प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है कि वह वादिया के स्वामित्व आधिपत्य एवं खातेदारी कृषि आराजीयात के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी व किसी प्रकार का निर्माण एवं पिलर न तो स्वयं बनावे ना हि अपने किसी नौकर, एजेंट से करावे।
3. यह कि बिनाय मुखास्मत वाद कारण दिनांक 07.07.2017 को प्रतिवादीगण ने मौके पर पिलर रोपने के लिये खड्डे खोदने लगे इस पर वादिया द्वारा रोका गया तो प्रतिवादीगण झगड़ा करने पर आमादा होने से पैदा होकर निरतंर जारी है।

अतः प्रार्थना है कि वाद पत्र वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर निम्न आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से फरमाया जावे किः–

कि वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित वादिया के आधिपत्य, स्वामित्व एवं उपयोग उपभोग की कृषि आराजीयात मौजा आसावरा, पटवार हल्का आसावरा, तहसील भदेसर की खाता सं0 185 में दर्ज आराजी नं0 576 रकबा 0.43 हैक्टेयर कृषि भूमि में किसी प्रकार से दखलअंदाजी एवं किसी प्रकार का निर्माण, पिलर आदि न तो स्वयं बनावे ना हि किसी अन्य से बनवावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बरोज पेशी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व कार्यवाही एक तरफा किये जाने के आदेश पारीत किये गये।

लायक अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी जिन्होनें वाद वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए वाद स्वीकार किये जाने इस्तदुआ की एवं निवेदन किया कि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जाने का आदेश फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आलोक में वादिया का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि मौजा आसावरा पटवार हल्का आसावरा तहसील भदेसर में खाता सं0 185 में दर्ज आराजी नं0 576 रकबा 0.43 हैक्टैयर भूमि जो कि वादिया की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है में किसी प्रकार से दखलअंदाजी एवं किसी प्रकार का निर्माण, पिलर आदि न तो स्वयं बनावे ना हि किसी अन्य से बनवावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर,
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़